IJAER/July-August 2024/Volume-13/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

" आदतन कठोर अपराधियों पर कारागार व्यवस्था का प्रभाव एक वैधानिक अध्ययन - जांजगीर - चाँपा जिले के विशेष संदर्भ में "

धर्मेन्द्र शर्मा
शोधार्थी, विधि विभाग
डॉ.सी.वी.रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा

डॉ.विजय यादव
सहा. प्राध्यापक विधि विभाग
डॉ.सी.वी.रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा

सार

जेल प्रणाली अपराधियों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; हालाँकि, आदतन कठोर अपराधियों को बदलने में इसकी प्रभावशीलता बहस का विषय बनी हुई है। इस अध्ययन का उद्देश्य जांजगीर-चांपा जिले पर विशेष ध्यान देते हुए बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों पर जेल प्रणाली के प्रभाव का पता लगाना है। कारावास के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संरचनात्मक पहलुओं का विश्लेषण करके, यह शोध मूल्यांकन करता है कि क्या वर्तमान दंड ढांचा पुनरावृत्ति को रोकता है या अनजाने में आपराधिक व्यवहार को मजबूत करता है। अपराध विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का उपयोग करते हुए, अध्ययन जेल की स्थिति, पुनर्वास कार्यक्रम, सामाजिक कलंक और रिहाई के बाद के अवसरों जैसे कारकों की जांच करता है। आदतन अपराधियों के बीच व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने में सुधारात्मक उपायों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निष्कर्ष मौजूदा प्रणाली में खामियों को उजागर करते हैं और पुनरावृत्ति को कम करने और सामाजिक पुनः एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रभावी दृष्टिकोण के लिए सिफारिशें प्रदान करते हैं। यह सैद्धांतिक अध्ययन जेल सुधारों और आपराधिक न्याय नीतियों पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है, विशेष रूप से जांजगीर-चांपा के संदर्भ में, जहां सामाजिक-आर्थिक स्थितियां और कानून प्रवर्तन प्रथाएं कैद व्यक्तियों के अनुभवों को आकार देती हैं।

मुख्य शब्द: जेल प्रणाली, आदतन अपराधी, पुनरावृत्ति, पुनर्वास, आपराधिक न्याय,

परिचय

जेल प्रणाली आपराधिक न्याय प्रणाली के एक मूलभूत घटक के रूप में कार्य करती है, जिसे अपराधियों को दंडित करने, पुनर्वास करने और समाज में पुनः एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालाँकि, आदतन कठोर अपराधियों को सुधारने में इसकी प्रभावशीलता एक जटिल और व्यापक रूप से बहस का मुद्दा बनी हुई है। जबकि कारावास का उद्देश्य अपराध को रोकना है। बार-बार अपराध करने वाले कई अपराधी सजा काटने के बाद भी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों के व्यवहार परिवर्तन पर जेल के वातावरण, सुधारात्मक नीतियों और पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जांजगीर-चांपा जिला एक अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक और कानूनी परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो अपराध के पैटर्न और जेल प्रणाली के कामकाज को प्रभावित करता है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा तक सीमित पहुँच जैसे कारक आपराधिक व्यवहार में योगदान करते हैं, जो अक्सर बार-बार अपराध करने का कारण बनते हैं। इस क्षेत्र में कारावास की प्रभावशीलता को समझने के लिए जेल की स्थितियों, उपलब्ध पुनर्वास पहलों और रिहाई के बाद सहायता प्रणालियों का गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह अध्ययन आदतन अपराधियों के जीवन को आकार देने में जेल प्रणाली की भूमिका की जाँच करने के लिए एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाता है। अपराध विज्ञान के सिद्धांतों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों और

समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की खोज करके, शोध का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रणाली एक निवारक के रूप में कार्य करती है या अनजाने में आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। अध्ययन पुनर्वास प्रक्रिया में अंतराल की पहचान करने और ऐसे सुधारों का प्रस्ताव करने का भी प्रयास करता है जो पूर्व अपराधियों के समाज में पुनः एकीकरण को बढ़ा सकते हैं। यह शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जेल सुधारों, पुनरावृत्ति और आपराधिक न्याय नीतियों पर चल रहे विमर्श में योगदान देता है, विशेष रूप से जांजगीर-चांपा के संदर्भ में। वर्तमान प्रणाली की ताकत और कमियों को उजागर करके, अध्ययन आदतन अपराधियों के लिए जेल-आधारित हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सुधार संस्थानों के लिए मूल्यवान सिफारिशें प्रदान करने की आकांक्षा रखता है।

जेल की अवधारणा और परिभाषा

अंग्रेजी शब्द जेल पुराने फ्रांसीसी 'कारावास' से आया है और यह एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को शारीरिक रूप से कैद किया जाता है और कई तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। जेल एक ऐसी जगह है जहाँ विचाराधीन और दोषी लोगों को रखा जाता है जिन्होंने कोई न कोई अपराध किया है या देश के प्रचलित कानूनों के खिलाफ़ काम किया है। 'कारावास' शब्द को पारंपरिक रूप से एक ऐसी जगह के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ लोगों को मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में रखा जाता है या जहाँ उन्हें कारावास की सजा काट रहे दोषियों के रूप में रखा जाता है।2 जेल का उपयोग अपराधियों को विचलित करने वाले संगठन के रूप में किया जाता है ताकि जेल के अंदर उन पर कम प्रतिबंध और नियंत्रण हो।3 जेल शब्द एक सामान्य शब्द है जो दंड संस्थान पर लागू होता है जिसमें मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा सजा पाए कैदियों दोनों को रखा जाता है।

आदतन अपराधी की परिभाषा

आदतन अपराधी या बार-बार अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसे दो या दो से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। विभिन्न राज्य और अधिकार क्षेत्र में आदतन अपराधियों को लक्षित करने वाले कानून हो सकते हैं, और विशेष रूप से बढ़ी हुई या अनुकरणीय सज़ा या अन्य प्रतिबंधों का प्रावधान हो सकता है। उन्हें कारावास के माध्यम से शारीरिक अक्षमता द्वारा आपराधिक पुनरावृत्ति का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आदतन अपराधी क़ानून की प्रकृति, दायरा और प्रकार अलग-अलग होते हैं, लेकिन आम तौर पर वे तब लागू होते हैं जब किसी व्यक्ति को विभिन्न अपराधों के लिए दो बार दोषी ठहराया जाता है। कुछ कोड अपराधों के वर्गों (उदाहरण के लिए, कुछ कोड केवल हिंसक अपराध से निपटते हैं) और दोषसिद्धि के बीच समय की अवधि के बीच अंतर कर सकते हैं। आम तौर पर, सजा को बहुत बढ़ा दिया जाता है; कुछ परिस्थितियों में, यह अपराध के लिए अधिकतम सजा से काफी अधिक हो सकता है। आदतन अपराधी कानून अनिवार्य सजा का प्रावधान कर सकते हैं - जिसमें न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए, या अदालत को उचित सजा निर्धारित करने की अनुमति देने में न्यायिक विवेक की अनुमति दे सकते हैं।

आदतन अपराधियों को जेल में रखने के लिए कानूनी प्रावधान

आदतन अपराधियों की कैद विभिन्न कानूनी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें जेल मैनुअल, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और आदतन अपराधी अधिनियम शामिल हैं। ये कानून

सुनिश्चित करते हैं कि आदतन अपराधियों की निगरानी की जाए, उनका पुनर्वास किया जाए और, जब आवश्यक हो, तो उन्हें आगे की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए हिरासत में रखा जाए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत प्रावधान

दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 110 आदतन अपराधियों को उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निवारक निरोध या बढ़ी हुई सुरक्षा उपायों को सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, सीआरपीसी की धारा 356 अदालतों को बार-बार अपराध करने वालों का रजिस्टर रखने की अनुमति देती है, जिससे उनकी गतिविधियों पर सख्त निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित होता है। कुछ मामलों में, निवारक निरोध कानून अधिकारियों को तत्काल आपराधिक आरोपों के बिना भी आदतन अपराधियों को हिरासत में लेने की अनुमति देते हैं, जिसका उद्देश्य आगे के अपराधों को रोकना और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) प्रावधान

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) आदतन अपराधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करती है, लेकिन धारा 75 में बार-बार अपराध करने वालों पर कठोर दंड लगाते हुए बढ़ी हुई सज़ाएँ निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत, चोरी, डकैती या धोखाधड़ी जैसे बार-बार अपराध करने के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को आदतन आपराधिक व्यवहार को रोकने और कठोर कानूनी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उच्च सजा का सामना करना पड़ता है।

जेल मैनुअल में प्रावधान

1. अलग हिरासत: आदतन अपराधियों को अक्सर नकारात्मक प्रभाव और आपराधिक व्यवहार के प्रसार को रोकने के लिए पहली बार अपराध करने वालों से अलग रखा जाता है। कई जेलों में ऐसे कैदियों के लिए समर्पित बैरक या उच्च सुरक्षा वाले सेल होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि वे जेल के भीतर आपराधिक नेटवर्क न बनाएँ।

2. निगरानी और सुरक्षा उपाय: बढ़ी हुई निगरानी में सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग और आदतन अपराधियों की आवाजाही और गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए लगातार निरीक्षण शामिल हैं। उन्हें प्रतिबंधित संचार, सीमित आगंतुक पहुँच और जेल अधिकारियों द्वारा बढ़ी हुई निगरानी के अधीन भी किया जा सकता है। 3. पुनर्वास कार्यक्रम: बढ़ईगीरी, सिलाई और हस्तशिल्प जैसे व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आदतन अपराधियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है, जिससे उन्हें रिहाई के बाद वैध रोजगार के लिए कौशल विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके। व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, नशा मुक्ति कार्यक्रम, नैतिक शिक्षा और ध्यान कार्यशालाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

4. पैरोल प्रतिबंध: आदतन अपराधियों को पैरोल की सख्त शर्तों का सामना करना पड़ता है, जैसे अनिवार्य पुलिस रिपोर्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और दोबारा अपराध करने से रोकने के लिए यात्रा और संगठनों पर प्रतिबंध। उनके पैरोल आवेदनों की कड़ी जाँच की जाती है और कई मामलों में, उन्हें केवल चिकित्सा आपात स्थिति या पारिवारिक संकट जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही पैरोल दी जाती है।

उत्तरप्रदेश आदतन अपराधी प्रतिबंध अधिनियम, 1952

उत्तरप्रदेश आदतन अपराधी प्रतिबंध अधिनियम, 1952 आदतन अपराधियों के पंजीकरण और निगरानी का प्रावधान करता है, जिससे अधिकारी उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख सकते हैं। यह राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखने और आगे की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम अनिश्चितकालीन हिरासत के बजाय पुनर्वास पर जोर देता है, अपराधियों को लंबे समय तक कारावास में रखने के बजाय समाज में फिर से शामिल करने के लिए सुधारात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।

सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लगातार माना है कि आदतन अपराधियों को उचित कानूनी औचित्य के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत या अत्यधिक पुलिस निगरानी के अधीन नहीं किया जा सकता है। कई फैसलों में, अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल पिछले आपराधिक रिकॉर्ड निरंतर प्रतिबंधों को उचित नहीं ठहराते हैं जब तक कि बार-बार अपराध करने या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरों का स्पष्ट सबूत न हो। न्यायपालिका ने जोर दिया है कि निवारक निरोध कानूनों को संयम से और असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। अदालतों ने राज्य सरकारों और जेल अधिकारियों को आदतन अपराधियों के लिए संरचित पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है।

समाज में उनके पुनः एकीकरण को सक्षम करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श और शैक्षिक पहल पर जोर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि आदतन अपराधियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, ताकि अपराध की रोकथाम की आड़ में पुलिस उत्पीड़न या अवैध हिरासत को रोका जा सके। न्यायपालिका ने आदतन अपराधियों की निगरानी और पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश भी तैयार किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें।

उच्च न्यायालयों ने फैसला सुनाया है कि आदतन अपराधियों का रिकॉर्ड रखना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे पारदर्शी तरीके से और उचित प्रक्रिया के साथ किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्तियों को आदतन अपराधी के रूप में अपने वर्गीकरण को चुनौती देने का अधिकार मिल सके। अदालतों ने प्रतिबंधात्मक उपायों के मनमाने इस्तेमाल को भी हतोत्साहित किया है, यह निर्देश देते हुए कि पुलिस निगरानी उचित, आनुपातिक होनी चाहिए और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

पैरोल और समय से पहले रिहाई के मामलों में, अदालतों ने कहा है कि आदतन अपराधियों को उनके पिछले दोषसिद्धि के आधार पर स्वचालित रूप से पैरोल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, उनके व्यवहार, पुनर्वास की प्रगति और दोबारा अपराध करने की संभावना का आकलन करने के बाद पैरोल के फैसले किए जाने चाहिए। यह दृष्टिकोण सार्वजनिक सुरक्षा और सुधार के अधिकार के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है, इस विचार को पुष्ट करता है कि आदतन अपराधियों को समाज से स्थायी रूप से बहिष्कृत करने के बजाय सामाजिक पुन: एकीकरण का अवसर दिया जाना चाहिए।

कारागार का सुधारात्मक स्वरूप

भारतीय कारागार व्यवस्था में वास्तविक सुधार का प्रारम्भ सन् 1836 से माना जाता है जब एक कारागार जाँच समिति का गठन किया गया जिसने कारावासियों से सड़कों के निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में कार्य लिया जाना बन्द किये

जाने की अनुशंसा की। तत्पश्चात् सन् 1938 में मेकाले (Macaulay) के सुझाव पर एक कारागार सुधार (Jail Reforms Committee) गठित की गई जिसने

निम्नलिखित सुझाव दिये-

(1) एक केन्द्रीय बन्दीगृह की स्थापना की जाए जिसमें एक हजार कैदियों को रखने की व्यवस्था हो तथा केवल ऐसे कैदी ही रखे जाएँ जिनकी सजा एक वर्ष से अधिक अवधि की हो।

(2) प्रांतों के विभिन्न कारागारों पर उचित नियन्त्रण रखने हेतु प्रत्येक प्रांत में एक कारागार-निरीक्षक की नियुक्ति की जाए। तदनुसार उत्तर प्रदेश

(1844), पंजाब (1952), बंगाल (1954) तथा बम्बई एवं मद्रास (1862) में कारागार निरीक्षक नियुक्त किये गये।

(3) महिला अपराधियों को पृथक रखने की व्यवस्था की जाए।

समस्त भारत के कारागारों की उचित देखभाल के लिए सन् 1955 में एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स की नियुक्ति की गई जो कारावासियों की समस्याओं का निराकरण भी करता था।

सन् 1862 में द्वितीय कारागार जाँच (Jail Enquiry Committee) गठित हुई जिसने कारागारों में गन्दगी तथा अस्वास्थ्यकारी दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसमें तत्काल सुधार किये जाने का सुझाव दिया। कारागारों में समुचित सफाई के अभाव में बीमारियाँ फैलती थीं जिसके कारण अनेक कैदियों की मृत्यु तक हो जाती थी। अतः समिति ने इनकी उचित चिकित्सा तथा भोजन और सफाई की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता अनुभव की। समिति का सुझाव था कि केन्द्रीय कारागार में पन्द्रह प्रतिशत कैदियों के लिए एकांत कारावास की व्यवस्था हो तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय कारागारों में चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। सन् 1866 में कारागारों की व्यवस्था हो तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय कारागारों में चिकित्सक की नियुक्ति की जाए। सन् 1866 में कारागारों में चिकित्सक नियुक्त किये गये इसके पश्चात् कारागार व्यवस्था में सुधार हेतु तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम कारागार समितियों ने समय-समय पर सुझाव दिये जिन्हें विभिन्न चरणों में लागू किया गया।

सन् 1894 में भारत के लिए कारागार अधिनियम (Prison Act, 1894) पारित हुआ जो भारतीय कारागारों की एकरूपता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस अधिनियम की उल्लेखनीय बात यह थी कि इसमें कारावासियों के वर्गीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाए गए तथा कोड़े लगाने जैसे अमानवीय दण्ड को समाप्त करके दण्ड के स्वरूप में परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों को अपने क्षेत्र के लिए कारागार-नियम बनाने की छूट दे दी गई। यह अधिनियम आज भी लागू है, यद्यपि वर्तमान बदली हुई भारतीय परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता के बारे में संदेह व्यक्त किया जा रहा है तथा इसे तत्काल संशोधित किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

बींसवी सदी के प्रारम्भिक वर्षों में बाल एवं किशोर अपराधियों की दशा में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया। घोर अपराधियों के सम्पर्क से बचाए रखने के लिए इन्हें बाल-सुधार गृहों तथा बोर्स्टलों में पृथक् रखे जाने की व्यवस्था की गई। इस हेतु सन् 1897 में बोर्टल तथा सुधार विद्यालय अधिनियम (Borstals and Reformatory School Act, 1898) पारित किया गया जिसके अन्तर्गत बाल एवं किशोर अपराधियों के लिए अनेक बोर्स्टलों की स्थापना की गई। प्रत्येक कारागार के लिए अधिकतम कैदियों की संख्या निर्धारित की गई। उन दिनों कारागारों के प्रशासक बहुधा अंग्रेज अधिकारी ही हुआ करते थे। बीसवीं शदी के प्रारम्भिक दो दशकों में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन ने जोर पकड़ा अतः कारागारों में राजनीतिक कैदियों की भरमार हुई इस हेतु राजनीतिक कैदियों को दो वर्गों में रखा गया। (1) हिंसा बन्दी

तथा (2) अहिंसा बन्दी। चूँकि अधिकांश राजनीतिक बन्दी सम्भ्रात भारतीय या मध्यमवर्गीय शिक्षित व्यक्ति होते थे, इसलिए कारागारों में ही उनका संक्षिप्त विचारण किया जाता था। राजनीतिक कैदियों के लिए भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन के साधन, सगे सम्बन्धियों से मिलना आदि सम्बन्धी विस्तृत कारागार नियम बनाए गये थे। कारागार प्रशासकों का अधिकांश समय राजनीतिक कैदियों की व्यवस्था तथा देखभाल में व्यतीत होने के कारण इन दो दशकों में सामान्य कैदियों की स्थिति की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका।

कारागार व्यवस्था अपराधियों को दण्डित किये जाने की प्रतीक है जिसमें विचारणाधीन अपराधी तथा संशयित व्यक्तियों (suspects) को उनके परीक्षण काल में बन्दी में रखा जाता है। चूँकि कोई भी समाज अपराध और अपराधियों के बिना नहीं हो सकता है, इसलिए प्रत्येक समाज में कारागारों का होना अनिवार्य है।

भारत तथा विश्व के अन्य देशों की कारागार-व्यवस्था के इतिहास के आधार पर वहाँ अपराधियों के प्रति समयानुसार समाज के बदलते हुए दृष्टिकोण की अनुभूति होती है। कारागार व्यवस्था में दण्ड के प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, निरोधात्मक तथा सुधारात्मक सिद्धान्तों का अद्‌भुत सम्मिश्रण मिलता हैं। कारागार के कटु अनुभवों तथा दुःखदायी जीवन से अपराधी को अपराधकृत्य की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी मिलती है तथा उसके दण्ड को देखते हुए अन्य व्यक्ति भी अपराध करने से दूर रहते हैं। अपराधी को कारावास का दण्ड दिया जाने से व्यथित व्यक्ति को आत्म संतोष मिलता है तथा साथ ही अपराधी को अपने किये पर पश्चाताप करने का समुचित अवसर मिलता है, जो उसे भविष्य में सामान्य जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है।

बिना आरोप के गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 9 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बिना आरोप के गिरफ्तार या कैद किए गए व्यक्तियों को भाग I और भाग II, खंड C के तहत दी गई सुरक्षा के समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। भाग II, खंड A के प्रासंगिक प्रावधान भी उसी तरह लागू होंगे, जहां उनका आवेदन हिरासत में व्यक्तियों के इस विशेष समूह के लाभ के लिए अनुकूल हो सकता है, बशर्ते कि कोई भी उपाय नहीं किया जाएगा, जिसका तात्पर्य यह हो कि किसी भी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराए गए व्यक्तियों के लिए पुनः शिक्षा या पुनर्वास किसी भी तरह से उपयुक्त है।

5. इसी तरह, अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आदतन अपराधियों को जेल में रखने के लिए कुछ निर्देशात्मक नियम जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने आदतन अपराधियों की हिरासत, निगरानी और पुनर्वास के बारे में कई फैसले जारी किए हैं। ये निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और साथ ही अनिश्चितकालीन कारावास के बजाय सुधारात्मक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नीचे विस्तृत विवरण के साथ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

1. कोई अनिश्चितकालीन हिरासत नहीं

अदालतों ने लगातार फैसला सुनाया है कि आदतन अपराधियों को केवल पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। हिरासत आपराधिक इरादे या गैरकानूनी गतिविधियों में लगातार शामिल होने के स्पष्ट और मौजूदा सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सोहेल शेख जैसे मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निवारक हिरासत कानूनों का इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

2. प्रतिबंधों के साथ निवारक हिरासत

अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि निवारक हिरासत का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए जब निगरानी और पैरोल की शर्तें जैसे अन्य उपाय विफल हो जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) या आदतन अपराधी अधिनियम जैसे निवारक कानूनों के तहत किसी भी हिरासत को वैध कारणों से समर्थित किया जाना चाहिए और न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए। ए.के. रॉय बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए निवारक हिरासत में स्पष्ट कानूनी आधार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होने चाहिए।

जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना

भारत में सभी जिलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है। कैदियों की भारी भीड़ के कारण जेल प्रशासन कैदियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इसी कारण से कैदी जेलों में अमानवीय जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर हैं। कमलेश जैन के अभिमत में "कैदी जीवन का एक पहलू जेलों में भारी भीड़ का होना जिस ओर सरकार एवम् न्यायपालिका द्वारा शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न जो उठता है, वह सीधा और सरल है-यदि सरकार के पास कैदियों को रखने की जगह नहीं है तो फिर न्यायपालिका (कैद जमानत नहीं) के सिद्धान्त पर विश्वास क्यों करती हैं? क्या व्यवस्था, जिसके पास हिरासत में पड़े लोगों को जीने की आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करने की क्षमता नहीं है, किसी विचाराधीन अथवा सजायाफ्ता कैदी को मर जाने के लिये जेल में रखे रहने का अधिकार रखती है ?

कैदियों को जेल कार्ड उपलब्ध न कराया जाना

जेल नियमावली के नियम 508 के अनुसार, "प्रत्येक कैदी को जेल में पहुँचते ही हिस्ट्री टिकट "दिया जाना चाहिये जिसमे विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत सूचना तिथिवार अभिलिखित की जानी चाहिये। इसमें जेल के भीतर की सभी महत्वपूर्ण घटनाएँ और उससे संबंधित प्रत्येक ओदश अभिलिखित किये जाने चाहिये।

"हिस्ट्री टिकट" या जेल कार्ड में कैदी के जेल में भेजे जाने की तारीख, कैदी द्वारा अर्जित अवकाश या अवकाश में कटौती, जेल में रखे जाने की अवधि, न्यायालय के आदेश, कैदी की उम्र, जेल में बंदी बनाये जाते समय उसका वजन, समय-समय पर कैदी को दी गयी चिकित्सा सुविधाओं का विवरण रहता है। परन्तु यह जेल-कार्ड कैदियों का उपलब्ध न कराये जाने के कारण कैदी को निर्धारित अवधि से अधिक जेल में रहना पड़ सकता है। जेल कार्ड न रहने की वजह से कैदी यह बता पाने में असमर्थ होता है कि उसे कब जेल भेजा गया, उसको जमानत मिली या नहीं, मुकदमें का फैसल उसके पक्ष में हुआ अथवा विपक्ष में, उसे और कितने दिन जेल में बिताने हैं।

जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवम् अपराधीकरण

धनी और प्रभावशाली कैदी पैसे की ताकत पर जेल में स्वर्ग भोगते हैं। उन्हें सभी सुविधाएँ इतनी सहजता से प्राप्त हो जाती हैं जैसे उनको प्राप्त करना उनका नैसर्गिक अधिकार हो। अब जेलों में सभी कुछ पैसे से प्राप्त किया जा सकता है-अच्छा भोजन, कपड़ा, सोने का स्थान, स्नानगार, टी.वी. सेट, मोबाइल फोन यहाँ तक कि चरस, गांजा, अफीम, हशीस, ब्राउन शुगर, शराब और शबाब भी। अधिकारियों द्वारा मुलाकातियों से बातचीत की अनुमति, वकालतनामा भरने इत्यादि के लिये धन की अदायगी करनी पड़ती है। कमलेश जैन के कथनानुसार बिहार के पटना की बऊर जेल में "एक तरफ तो कैदियों के पास सिर ढकने को यथोचित छत एवम् पाँव तले साबुत एवम् साफ फर्श नहीं था, भूख एवम् प्यास मिटाने को पर्याप्त भोजन एवम् पानी नहीं था, यथोचित शौचालय नहीं थे जहाँ वे जरूरत के वक्त शौच से निवृत्त हो सकें, चिकित्सक एवम् दवाईयाँ नहीं थीं। वहीं दूसरी ओर पटना मंडल के कमिश्नर एवम् कारागार महानिरीक्षक के

द्वारा पटना बेऊर जेल में डाले गए संयुक्त छापे में चारा घोटाले में कैद तीन विधायकों के कब्जे से 3 सेल्यूलर फोन, 1 टेलीविजन सेट, शराब की बोतलें तथा 3.44 लाख रूपयें नगद पाए गये।"

जेल व्यवस्था का एक उद्देश्य जेलों को सुधारगृहों के रूप में संचालित किया जाना है परन्तु वर्तमान में जेलों का उपयोग सुधारगृहों के रूप में न होकर अपराधीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने के उत्प्रेरक के रूप में हो रहा है। आज जेलों को खतरनाक अपराधियों की कृपा पर छोड़ दिया गया हैं। इन खतरनाक कैदियों की सहायता से जेल अधिकारी अन्य कैदियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। बड़े अपराधियों के भय से कैदी और जेल के अन्य कर्मचारी कुछ नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त धन का लोभ भी इन्हें कुछ करने से रोकता है। जेलों में संगीन अपराधियों द्वारा अपने गैंग बना लिये जाते हैं और ये अपने वर्चस्व के लिये कैदियों एवम् जेल अधिकारियों तक से मार-पीट करते हैं। यह कोई नई समस्या नहीं है। यह समस्य हमें ब्रिटिश राज से विरासत में प्राप्त हुई है। ब्रिटिश काल में अपने बंदी जीवन के दौरान हुए अनुभव के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल व्यवस्था के संबंध में यह कहा था कि "यहाँ किस तरह कैदी नियंत्रित किये जाते है और सजायाफ्ता को दंडित किया जाता है। अधिकांशतः उन दोषियों को ही सहायता से नियंत्रित किया जाता था, जिन्हें अधिकारियों की सहायता के लिये दोषी वार्डन या दोषी ओवरसियर बना दिया जाता था और वे यह काम भय से या इनाम के लालच में या विशेष छूट पाने के लिये करते थे।

वेतनभोगी वार्डन कम ही थे। जेल के अन्दर यह काम अधिकांशतः दोषी वार्डन या दोषी ओवरसियर ही करते थे।"

पुलिस उत्पीड़न से सुरक्षा

अदालतों ने फैसला सुनाया है कि आदतन अपराधियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, पुलिस की बर्बरता या अनावश्यक निगरानी का सामना नहीं करना चाहिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चाहिए:

- किसी को आदतन अपराधी के रूप में लेबल करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करें।
- सुनिश्चित करें कि आवागमन और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वैध हैं।
- अभियुक्तों को अदालत में आदतन अपराधी के रूप में अपने वर्गीकरण को चुनौती देने की अनुमति दें।
- प्रभु दयाल देवराह बनाम जिला मजिस्ट्रेट मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आदतन अपराधियों के पास मौलिक अधिकार हैं जिनका अपराध रोकथाम के बहाने उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

जेल प्रणाली अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भी आदतन कठोर अपराधियों को सुधारने में इसकी प्रभावशीलता एक चुनौती बनी हुई है। इस अध्ययन ने जांजगीर-चांपा जिले पर विशेष ध्यान देते हुए बार-बार अपराध करने वालों पर कारावास के सैद्धांतिक प्रभाव की जांच की है। निष्कर्ष बताते हैं कि जबकि जेलों को पुनर्वास के संस्थानों के रूप में काम करने का इरादा है, वे अक्सर भीड़भाड़, प्रभावी पुनर्मिलन कार्यक्रमों की कमी और पूर्व कैदियों के कलंक के कारण कम पड़ जाते हैं। निवारक के रूप में कार्य करने के बजाय, कारावास अपराधियों को संस्थागतकरण, सामाजिक अलगाव और रिहाई के बाद सीमित अवसरों के चक्र में डालकर आपराधिक प्रवृत्तियों को मजबूत कर सकता है। अपराध विज्ञान के सिद्धांत जैसे कि निवारण सिद्धांत, लेबलिंग सिद्धांत और नियमित गतिविधियाँ सिद्धांत इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि आदतन अपराधी अपराध के चक्र से मुक्त होने के लिए क्यों

संघर्ष करते हैं। संरचित व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श और समुदाय-आधारित पुनर्मिलन प्रयासों की अनुपस्थिति पुनरावृत्ति दरों को और बढ़ा देती है। जांजगीर-चांपा के विशिष्ट संदर्भ में, गरीबी, बेरोजगारी और सीमित शैक्षिक अवसर जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक आपराधिक व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कारावास से परे एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

संदर्भ

[1] अमरेन्द्र मोहंती और नारायण हजारे, भारतीय कारागार प्रणाली, आकाश पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।
[2] अकबरनामा, बेव.ll, पृ. 504-05; फरिश्ता, II, पृ. 350: बदायुनी, टेस्ट II 120-24 पर
[3] बारबरा हडसन, न्याय को समझना: आधुनिक दंड सिद्धांत में विचारों, दृष्टिकोणों और विवादों का परिचय, ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस, बकिंघम, इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित, 1996।
[4] बिजय शंकर हाइकरवाल, भारत में अपराध का आर्थिक और सामाजिक पहलू, एलन और अनविन द्वारा प्रकाशित, लंदन, 1934।
[5] कार्टर, रॉबर्ट मेल्विन और ग्लेसर, डैनियल, सुधारात्मक संस्थान, लिपिनकॉट कंपनी, फिलाडेल्फिया द्वारा प्रकाशित, 1977।
[6] इन साइक्लोपीडिया अमेरिकन, भाग-22 यू. एस. 1980
[7] इन साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल सांइस, भाग 12, मैकनिकल, लंदन 1951
[8] डा. एम. जे. सेठना-सोसाइटी एण्ड क्रिमिनल, 1964
[9] फेयर चाइल्ड, एख. पीत्रः- डिक्शनरी ऑफ सोशालाजी
[10] आर. एन. डेटिरह प्रिज़न एज ए सोशल सिस्टम-पापुलर प्रकाशन एन बम्बई-1978
[11] इन साइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेननिका भाग-18 - लन्दन-1961
[12] माइरिल ई. अलेक्जेन्डर-जेल एडमिन्सट्रेशन, चरेस सी थामस स्प्रिंग फील्ड, यू. एस. 1957
[13] डोनाल्ड टेफ्ट-क्रिमनालॉजी प्रकाशित आई पी पी सी 1964
[14] गिलीन एण्ड गिलिनि-क्रिमीनोलाजी
[15] एच.ई. ब्रावेस एण्ड एन.के.टीटर्स-न्यू होरीजन इन क्रिमीनोलाजी
[16] लियोन रिडसिनोविज्ञः द ग्रोथ ऑफ क्राइम
[17] विद्याभूशण "प्रिजन एड मिनिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश" 1953
[18] जी. आर. मदान" इण्डियन सोशियल प्राब्लम्स" सीरिज 1 नई दिल्ली-1981
[19] के. डी. गौर - भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.)
[20] रतनलाल धीरजलाल - दण्ड प्रक्रिया संहिता (C.R.P.C.)
[21] बटुकलाल - भारतीय साक्ष्य अधिनियम